एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशक-गण की रिपोर्ट 2008-09	2
3.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	5
4.	2008-09 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	7
5.	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	11
6.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	12
7.	नकदी प्रवाह विवरण	13
8.	2008-09 के लेखे का भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	14

निदेशक-मंडल (22.12.2009 के अनुसार)

श्री अरविन्द जाधव — अध्यक्ष

श्री एन. वघुल

श्री ई.के. भारत भूषण

श्री प्रशांत सुकुल

मुख्य प्रचालन अधिकारी

श्री के. एम. उन्नी

लेखा-परीक्षक

मैसर्स एन.के. सेठ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
मुंबई

बैंकर

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस
113 गुरुद्वारा रक़ाबगंज रोड
नई दिल्ली - 110 001

निदेशकों की रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखों, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणी के साथ कंपनी की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय निष्पादन :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई व्यावसायिक संव्यवहार नहीं किए गए।

अन्य वित्तीय सूचना :

<u>शेयर पूंजी</u> :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,00,00,000/- रुपए है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5,00,000/- (प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर) का नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है एवं प्रदत्त है

<u>विदेशी मुद्रा अर्जन</u> :

चूंकि कंपनी ने कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, अतः समीक्षाधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी का निदेशक-मंडल निम्न की संपुष्टि करता है :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करने में प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और वास्तविकता से विचलन नहीं हुआ है;

2. चुनी हुई लेखांकन नीतियां सतत रूप से प्रयुक्त की गई हैं और निदेशकों ने वही अनुमान एवं अंदाज़ लगाया है, जो युक्तिसंगत एवं सही है, जिससे 31 मार्च, 2009 को कंपनी के कार्यों की सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत की जा सके और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ या हानि लेखे प्रस्तुत किए जा सकें;

3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; और

4. वार्षिक लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं।

निदेशक-मंडल :

31 मार्च, 2009 को बोर्ड में निम्न सदस्य थे :

श्री रघु मेनन - अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

श्री एन. वघुल
अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक

श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय

श्री प्रशांत सुकुल
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

श्री रघु मेनन 20 मई, 2009 से कंपनी के अध्यक्ष नहीं रहे और उसी तारीख से श्री अरविन्द जाधव ने अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला ।

श्री ई.के. भारत भूषण, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन के स्थान पर कंपनी के निदेशक के रूप में तारीख 20 मई, 2009 से नियुक्त किया गया था ।

श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय 16 फरवरी, 2009 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे ।

बोर्ड, अध्यक्ष के रूप में श्री रघु मेनन तथा निदेशक के रूप में श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन तथा श्री आर.के. सिंह द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रशंसा करता है ।

वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुईं ।

नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

लेखा-परीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा मैसर्स एन.के. सेठ एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई को वर्ष 2008-09 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया ।

धन्यवाद ज्ञापन :

बोर्ड, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखा-परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी तारीख 10 सितम्बर, 2009 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त सीमित कार्यकारी दस्तावेज़ों की पहुंच तक स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की जांच तक भी सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत मैं, निम्नलिखित विशिष्ट मामलों को रेखांकित करना चाहती हूं, जो मेरे ध्यान में आए हैं और मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने में आवश्यक होंगे :

तुलन पत्र

निधियों का प्रयोग

आस्थगित कर परिसंपत्तियां : 297,540

कंपनी ने कैबिनेट अनुमोदन के न मिलने के कारण 11 मार्च, 2004 को निगमन से व्यवसाय प्रचालन नहीं शुरू किया है, अतएव कोई व्यवसाय आय नहीं है। अतः लेखाकरण मानक 22 के अनुसार यथा वांछित भविष्य में लाभ अर्जित करने की वास्तविक निश्चितता के अभाव में व्यवसाय हानि को अग्रेणीत करने के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता उचित नहीं है।

इससे वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों में अतिकथन एवं हानि में 2,97,540/- रु. की कमी हुई है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से
हस्ता./-
सरित जफा
प्रधान निदेशक - वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड II, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 30 नवम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	पूरक लेखापरीक्षा अभिमत	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी ने कैबिनेट अनुमोदन के न मिलने के कारण 11 मार्च, 2004 को निगमन से व्यवसाय प्रचालन नहीं शुरू किया है, अतएव कोई व्यवसाय आय नहीं है । अतः लेखाकरण मानक 22 के अनुसार यथा वांछित भविष्य में लाभ अर्जित करने की वास्तविक निश्चितता के अभाव में व्यवसाय हानि को अग्रेणीत करने के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता उचित नहीं है। इससे वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों में अतिकथन एवं हानि में 2,97,540/- रु. की कमी हुई है ।	वर्ष के दौरान निर्मित आस्थगित कर परिसंपत्तियां 56,920/- रु. थी और शेष 2,40,620/- रु. पिछले वर्ष निर्मित हुई थी । कंपनी के प्रचालन की प्रस्तावित योजना के आधार पर प्रारंभ से ही आस्थगित कर परसंपत्तियों को सतत मान्यता दी गई है। एसबीयू हेड के अंतर्गत एआईईएसएल के प्रचालन के लिए मूल कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रबंधन का मत है कि कंपनी का प्रचालन शीघ्र शुरू होने की संभावना है और कंपनी मामूली असमाहित लाभ को समाहित करने की स्थिति में होगी ।

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के 31 मार्च, 2009 के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए इसके साथ संलग्न किए गए लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि हम अपनी लेखा-परीक्षा को इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण न हो। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों का समर्थन करने वाले प्रमाणों का परीक्षण करना शामिल है। प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करने के साथ-साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन करना लेखा-परीक्षा में शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमने जो अपनी राय व्यक्त की है, हमारी लेखा-परीक्षा में उसका उचित आधार विद्यमान है।

कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में तथा कंपनी की लेखा-बहियों और रिकॉर्डों की यथोचित ऐसी जांच के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त समझी है और हमें लेखा-परीक्षा के दौरान दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम अनुलग्नक में कंपनी को प्रयोज्य सीमा तक उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न कर रहे हैं।

उपर्युक्त संदर्भित अनुलग्नक में दी गई हमारी टिप्पणियों के क्रम में हम रिपोर्ट देते हैं कि :

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, जहां तक इन लेखा-बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बहियां रखी हैं;

ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-बहियों से मेल खाते हैं;

घ) हमारी राय में, लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं;

ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार किन्हीं भी निदेशकों को उन्हें निदेशक नियुक्त करने के लिए अयोग्य नहीं समझा गया है।

च) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखों और उन पर दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी उसी प्रकार से अपेक्षित ढंग से देते हैं और सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :

1. तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2009 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का।

2. लाभ और हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि का ।

3. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में ।

कृते एन.के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2009 को **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के लेखा पर सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

(1) कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्तियां नहीं हैं । अतः अचल परिसंपत्तियों से संबंधित खंड सं. 4 (i) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

(2) कंपनी कोई व्यापारिक अथवा उत्पादन गतिविधियां नहीं करती, अतः माल-सूची से संबंधित कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

(3) (क) कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी से ऋण लिया है । कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों से संबंधित कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (iii) के प्रावधानों के अनुसार यह राशि रु. 907,416/- है । ऐसे ऋण की ब्याज दर, निबंधन एवं शर्तें प्रथमदृष्ट्या कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं ।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से कोई ऋण रक्षित या अरक्षित स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः दिए गए ऋणों से संबंधित कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों एवं अन्य गतिविधियों के क्रय के संबंध में आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली, कंपनी के आकार एवं इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है । लेखा-परीक्षा के दौरान हमें आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमियों को सुधारने के लिए कोई सतत विफलता नहीं दिखाई दी है ।

(5) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में करने की आवश्यकता हो । अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित लेन-देन, संविदा एवं व्यवस्थाओं से संबंधित कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(6) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं ।

(7) कंपनी के पास औपचारिक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली नहीं है ।

(8) हमें सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है ।

(9) (क) वर्ष के अंत में आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित राशियां उनके देय हो जाने की तारीख से छः माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं हैं ।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, आयकर, सीमा-शुल्क, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क एवं उपकर की कोई राशि देय नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है ।

(10) कंपनी के पंजीकरण की अवधि पांच वर्षों से कम है, अतः संचित हानियों से संबंधित खंड 4 (x) का प्रावधान लागू नहीं होता है ।

(11) कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से कोई ऋण उधार नहीं लिया है । अतः बैंकों के ऋण की वापसी में चूक से संबंधित कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(12) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं ।

(13) कंपनी, चिट फंड या निधि, म्युचुअल लाभ निधि / सोसाइटी नहीं है । अतः कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(14) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों अथवा अन्य निवेशों में संव्यवहार या सौदा नहीं किया है । तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(15) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी अन्य के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है । तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(16) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है । तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(17) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के तुलन पत्र की की गई संपूर्ण जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जमा की गई निधि को दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया है । स्थायी कार्यशील पूंजी के अलावा, अल्पकालिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए किसी दीर्घकालिक निधि का प्रयोग नहीं किया गया है ।

(18) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पक्षकारों एवं कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) आबंटन नहीं किया है । तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

(19) कंपनी ने, वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं तथा ऐसे कोई डिबेंचर विचाराधीन वर्ष के दौरान बकाया नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(20) कंपनी ने, विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया है । तदनुसार, कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xx) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(21) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान, कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न तो पाई गई है और न ही सूचित की गई है ।

कृते एन.के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
I. निधियों का स्रोत :			
शेयरधारकों की निधियां :			
शेयर पूंजी	क	500,000	500,000
ऋण निधि :			
अरक्षित ऋण (नैसिल से)		907,416	892,874
कुल		1,407,416	1,392,874
II. निधियों का अनुप्रयोग :			
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम :			
अनुसूचित बैंक के चालू खाते में		500,000	500,000
घटाएं : वर्तमान देयताएं और प्रावधान		6,342	5,618
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		493,658	494,382
आस्थगित कर परिसंपत्ति		297,540	240,620
विविध व्यय			
(बट्टे खाते में नहीं डाले गए या समायोजित किए गए परिमाण तक)			
प्रारंभिक व्यय		-	168,940
लाभ और हानि लेखा			
नामे शेष		616,218	488,932
कुल		1,407,416	1,392,874
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	ख		
लेखों पर टिप्पणियां	ग		

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 33698

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2008 - 09	2007 - 08
आय :			
कुल आय		-	-
कुल		-	-
व्यय :			
आरओसी फाइलिंग शुल्क		5,000	2,000
लेखा-परीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क)		6,342	5,618
व्यावसायिक प्रभार		3,924	2,696
बट्टे-खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय		168,940	168,940
कुल		184,206	179,254
वर्ष का लाभ/(हानि)		(184,206)	(179,254)
जोड़ें : आस्थगित कर		56,920	55,389
कर पश्चात् लाभ/(हानि)		(127,286)	(123,865)
घटाएं : पिछले वर्ष का अग्रानीत शेष लाभ/(हानि)		(488,932)	(365,067)
तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ/(हानि)		(616,218)	(488,932)
प्रति शेयर अर्जन		(2.55)	(2.48)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 33698

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	2008 - 09		2007 - 08
1. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ और हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)	(184,206)		(179,254)
बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय के लिए समायोजन	168,940		168,940
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ / (हानि)	(15,266)		(10,314)
वर्तमान देयताओं के लिए समायोजन	724		-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(14,542)	(10,314)
2. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-		-
3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
शेयर पूंजी जारी करने से उत्पन्न	-		-
प्रारंभिक व्यय	-		-
ऋण समायोजन	14,542	14,542	10,314
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		-	-
नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि / (कमी)		-	-
नकदी/नकदी समानकों का प्रारंभिक शेष	500,000		500,000
नकदी/नकदी समानकों का अंतिम शेष	500,000		500,000

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 33698

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009

तुलन-पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची - क : शेयर पूंजी :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
प्राधिकृत		
प्रत्येक 10/- रुपए के 9,000,000 इक्विटी शेयर	90,000,000	90,000,000
प्रत्येक 100/- रुपए के 100,000 अधिमान शेयर	10,000,000	10,000,000
कुल	100,000,000	100,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर (होल्डिंग कंपनी मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100% धारित)	500,000	500,000
कुल	500,000	500,000

अनुसूची - ख : महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

1. **वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार :**

   ये वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी, लेखाकरण की मर्केण्टाइल पद्धति का अनुसरण करती है।

2. **चालू और आस्थगित कर के लिए प्रावधान :**

   आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अंतर्गत अनुमत लाभों को ध्यान में रखने के बाद चालू कर के लिए प्रावधान किया जाता है। बही खाते और कर योग्य लाभ के बीच 'समय के अंतर' के परिणामस्वरूप कर दरों और तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित विधि का प्रयोग करके आस्थगित कर लेखाकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और उसे निश्चितता की सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है, क्योंकि भविष्य में परिसंपत्ति की वसूली होगी।

3. **प्रारंभिक व्यय :**

   आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (घ) के उपबंधों के अनुसार, पांच वर्षों से अधिक के प्रारंभिक व्ययों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

अनुसूची - ग : लेखों पर टिप्पणियां :

1. जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित या फिर से व्यवस्थित किया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के पैरा 3 और 4 से संबंधित जानकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कंपनी ने अपनी गतिविधियां आरंभ नहीं की हैं।

3. आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :

(राशि रुपए में)

	31 मार्च, 2009 को	31 मार्च, 2008 को
असमाहित व्यवसाय हानि	297,540	240,620

4. कंपनी ने अब तक अपने प्रचालन आरंभ नहीं किए हैं । लेखे 'सतत' आधार पर तैयार किए गए हैं ।

5. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना :

क. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या	:	125114
राज्य कोड	:	55
तुलन-पत्र की तारीख	:	31.3.2009

ख. वर्ष के दौरान पूंजी में वृद्धि : रु. शून्य

ग. निधियों के संग्रहण और नियोजन की स्थिति : (हज़ार रुपए में)

कुल देयताएं	:	रु. 1,407.41	कुल परिसंपत्तियां	:	रु.1,407.41
निधियों के स्रोत					
प्रदत्त पूंजी	:	रु. 500.00	आरक्षित निधियां और अधिशेष	:	-
रक्षित ऋण	:	-	अरक्षित ऋण	:	रु. 907.41
निधियों का अनुप्रयोग					
निवल अचल परिसंपत्तियां	:	-	निवेश	:	-
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	:	रु. 493.65	विविध व्यय	:	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति	:	रु. 297.54	संचित हानि	:	रु. 616.22

घ. कंपनी का निष्पादन :

आवर्त / आय	:	-	कुल व्यय	:	रु. 184.21
असाधारण मद और कराधान से पूर्व लाभ / (हानि)	:	रु. (184.21)	कर पूर्व लाभ / (हानि)	:	रु. (184.21)
			प्रति शेयर अर्जन / (हानि)	:	रु. (2.55)
कर के पश्चात् लाभ / (हानि)	:	रु. (127.29)			

ङ. कंपनी के प्रमुख उत्पादों, सेवाओं के व्यापक नाम :

मद कोड	:	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	:	लागू नहीं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन.के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोपराइटर
सदस्यता सं. 33698

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : मुंबई
तारीख : 10 सितम्बर, 2009